

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-18102021-230474
SG-DL-E-18102021-230474

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 209
No. 296]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943	[N. C. T. D. No. 209

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2021

सं. फा.16(1)/श.वि./जल/2008/1275.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 4, 1998) की धारा 3 की उपधारा 2 तथा 5 खंड (xiii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल एतद्वारा श्री एस.वी.आर. चंद्रा सेखर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड को, इस सरकार की दिनांक 6 अप्रैल, 1998 की अधिसूचना संख्या एफ.16(1)/श.वि./दि.ज.बो./98-99/4199 के अनुसार गठित दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि के लिए या दिल्ली छावनी बोर्ड के सदस्य बने रहने तक, जैसी भी स्थिति हो, सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के
आदेश से एवं उनके नाम पर,

सुभाष चंद्रा, विशेष सचिव (शहरी विकास)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 13th October, 2021

F.16(1)/UD/W/2008/1275.— In exercise of the powers conferred by clause (xiii) of sub-section 2 and sub-section 5 of section 3 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act 4 of 1998), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Sh. S.V.R. Chandra Sekhar, Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board as Member in the Delhi Water Board, Delhi, constituted vide this Government's Notification No. F.16(1)/UD/DWB/98-99/4199 dated 6th April, 1998, for a period of one year from the date he assumes charge of his office, or till he ceases to be member of the Delhi Cantonment Board, Delhi as the case may be.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SUBHASH CHANDRA, Special. Secy. (UD)